

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनू (राज0)**

पिठासीन अधिकारी:- हवाई सिंह यादव  
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा  
**अन्तिम वाद डिक्री**

**मुकदमा नम्बर :- 64/2018 (अमरसिंह बनाम रणजीतसिंह वगै0)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, हवाई सिंह यादव, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 03.09.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2022/1743 दिनांक 06.09.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.02.2023 निर्णय वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम मोगा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 258, 259, 260, 261, 267, 268 कुल किता 6 कुल रकबा 6.30 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म	लगान
1	अमरसिंह पुत्र फूलसिंह जाति राजपूत सा0देह खातेदार राहिन BOB शाखा अलसीसर	261	0.90	बारानी-1	12.44
		260	0.04	गै0मु0 रास्ता	
		267 मि.	2.09	बारानी-1	
		268 मि.	0.12	बारानी-1	
	किता-4	3.15	-	12.44	
2	रणजीतसिंह, राजेन्द्रसिंह, विनोदसिंह पि0 अड़ीसालसिंह, सन्तोष कंवर पत्नी अड़ीसाल सिंह हि0 ब0 जाति राजपूत सा0देह खातेदार	258	0.92	बारानी-1	4.96
		259	0.04	गै0मु0 रास्ता	
		268 मि.	0.32	बारानी-1	
	किता-3	1.28	-	4.96	
3	मोहनलाल, संजय, सन्तोष पुत्र गोपीराम हि0 486/935 रामावतार पि0 गोपीराम हि0 287/935 कमला पत्नी हरिराम, योगेश कुमार, राजेश कुमार, विजयलक्ष्मी, सरीता पुत्र पुत्रीया हरिराम हि0ब0हि0 162/935 जाति जोगी सा0देह खातेदार	268 मि0	1.87	बारानी-1	7.48
		किता-1	1.87	बारानी-1	7.48

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 01.02.2023 को जारी की गई।



(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00298

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव  
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :- 84/2019 (सुरेश कुमार बनाम नानूड़ी वगैरह)

निर्णय दिनांक :- 01.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.01.2023 द्वारा पारित निर्णयानुसार चन्दवा पटवार हल्का कोदेसर स्थित भूमि हाल ख0न0 317 रकबा 1.92 है0, ख0न0 318 रकबा 1.30 है0, ख0न0 320 रकबा 5.11 है0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को बराबर-बराबर हिस्सा तथा भूमि हाल ख0न0 335 रकबा 1.97 है0, ख0न0 336 रकबा 0.87 है0, ख0न0 337 रकबा 1.55 है0, ख0न0 338 रकबा 2.60 है0 में अंकित श्योकरण पुत्र राजु के स्थान पर श्योकरण पुत्र पन्ना दुरुस्त कर श्योकरण पुत्र पन्ना के हिस्से में दर्ज भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को बराबर-बराबर हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 01.02.2023 को जारी की गई।



*हवाई सिंह यादव*  
01/02/23  
(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर